संख्या-102/2022/ 1071/001-22-4-2022-48-30-2014

प्रेषक,

अजय कुमार तिवारी,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4 लखनऊ : दिनांक 05 अगस्त, 2022

विषय:- प्रदेश की कारागारों में संचालित ई प्रिजन कार्ययोजना को सुदृढ़ किये जाने हेतु भारत सरकार द्वारा अनुदानित धनराशि से तकनीकी मैनपावर एवं कम्प्यूटर हार्डवेयर की व्यवस्था हेतु प्रशासकीय वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-19427/आधु-2/ई-प्रिजन/2020, दिनांक-16.06.2022 एवं पत्र संख्या-21976/आधु-2/ई-प्रिजन/2020, दिनांक-06.07.2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा ई-प्रिजन कार्ययोजना के सुदृढ़ीकरण हेतु वित्तीय वर्ष 2021-22 में शासनादेश संख्या-110/2021/960/22-4-2021-48(30)/14, दिनांक-21.11.2021 द्वारा प्रदत्त प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति की धनराशि रू0 1,73,95,000/- के सापेक्ष शासनादेश संख्या-39/2022/58/22-4-2022-48(30)/14, दिनांक-16.03.2022 द्वारा प्रदान किये गये क्रयानुमोदन के क्रम में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष रू0 43.48 लाख व्यय होने तथा शेष धनराशि रू0 130.46 लाख की धनराशि दिनांक-31.03.2022 को समर्पित करने का उल्लेख करते हुए वित्तीय वर्ष 2022-23 में 09 माह की अवधि के लिए 73 तकनीकी मैनपावर हेतु रू0 130.46 लाख का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया भारत सरकार द्वारा अनुदानित चालू ईप्रिजन कार्ययोजना के सुदृढ़ीकरण के अन्तर्गत कुल 73 तकनीकी मैनपावर हेतु 09 माह की अवधि के लिए वर्तमान वित्तीय वर्ष 2022-23 के संगत मद में प्राविधानित धनराशि रू0 130.46 लाख में से शतप्रतिशत धनराशि रू0 1,30,46,000/-(एक करोड़ तीस लाख छियालिस हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रदान करती है:-

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

(1) महानिरीक्षक कारागार द्वारा सुसंगत नियमों एवं शासनादेशों के अनुसार समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति करते हुए सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा सामग्री एवं वस्तुओं /सेवाओं के क्रय हेतु निर्गत शासनादेश दिनांक 23.08.2017 के अनुसार गर्वमेन्ट ईमार्केटप्लेस (जेम) के माध्यम से किया जायेगा ।

(2) महानिरीक्षक कारागार द्वारा धनराशि आहरित करने से पूर्व द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि उक्त कार्य हेतु पूर्व में धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है । स्वीकृत धनराशि का आहरण तभी किया जायेगा जब उपकरणो की निर्धारित क्रय प्रक्रिया पूर्ण कर गयी हो ।

(3) महानिरीक्षक कारागार द्वारा उत्तर प्रदेश के शासकीय विभागों एवं उसके अधीनस्थ संस्थाओं में मैनपावर के क्रय(आउट सोर्सिंग) के सम्बन्ध में कार्मिक अनुभाग-2 के शासनादेश दिनांक-18 दिसम्बर, 2019 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) उक्त धनराशि का व्यय स्वीकृत प्रयोजन हेतु स्वीकृत संख्या के अन्तर्गत ही किया जायेगा। किसी अन्य मद में व्यय नहीं किया जायेगा ।

(5) स्वीकृत धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में दि0 31-3-2023 तक करना सुनिश्चित किया जायेगा ।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 1,30,46,000 (रुपये एक करोड़ तीस लाख छियालीस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 025 **लेखा शीर्षक** 4070008001700 ई-प्रिजन कार्य योजना (भारत सरकार से वित्त पोषित) **मानक मद** 46 कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या E-12- < > -X-2022-23, दिनांक- जुलाई, 2022 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

अजय कुमार तिवारी
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-102/2022/1071/001-22-4-2022-48-30-2014, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

(1) प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) उ0प्र0, प्रयागराज।

(2) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, प्रयागराज।

(3) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

(4) निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।

(5) वित्त नियंत्रक, कारागार मुख्यालय, लखनऊ।

(6) निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), कारागार विभाग, उ0प्र0 शासन।

(7) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2

(8) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

अजय कुमार तिवारी
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।